

-- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है जो करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त अभिलेखीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों के बीच की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः अभिलेखीय त्रुटि सुधार हेतु इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
	3	4	5	6	7	8
खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	
मुखदेव पुत्र दावूराम, जाहि- कुम्हा	1624 B	2.3471	मुखदेव पुत्र दावूराम, जाहि- कुम्हा	1624 B	2.3471	

S92
27.10.21

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
सा.सं. 2021/मं.सं. मौलासर

दिनांक :-

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर